प्रारूप

पत्रांक–16 / PMU–10–02 / 2017 का0–4191(3139)

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0के0 खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव /
विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्त / उपायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 29/05/2019

विषय : **स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाश (उपार्जित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश) की स्वीकृति HRMS अन्तर्गत ऑनलाईन माध्यम से जारी करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंग : कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–9472, दिनांक–27.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सन्दर्भ में कहना है कि दिनांक–01.01.2019 से राज्य सरकार के सभी विभाग / कार्यालय में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मियों के सम्बन्ध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाश (उपार्जित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश) की स्वीकृति ऑनलाईन माध्यम से HRMS का उपयोग करते हुए ही जारी किये जाने की व्यवस्था की गई है। यह भी निदेश निर्गत है कि जिस स्थापना से ऑनलाईन आदेश के स्थान पर ऑफलाईन आदेश जारी किया गया पाया जायेगा, उस स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी का वेतन ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् ही विकलनीय होगा। सुलभ प्रसंग हेतु प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि HRMS के ऑनलाईन स्थापना आदेश प्रणाली (OTM) तथा ऑनलाईन अवकाश प्रणाली की समीक्षा के संबंध में आयोजित बैठक में सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया था कि स्थापना आदेश एवं अवकाश की स्वीकृति के मामले शत्–प्रतिशत ऑनलाईन ही निर्गत हों। इस क्रम में उन्हें ऑनलाईन मॉड्यूल का प्रशिक्षण भी दिया गया था किन्तु यह पाया गया कि कतिपय विभागों तथा कार्यालयों के द्वारा अभी भी ऑफलाईन पद्धति से स्थापना आदेश निर्गत किये जा रहे हैं, उपर्यक्त वर्णित अवकाशों का आवेदन प्राप्त किया जा रहा है तथा ऑफलाईन माध्यम से इसकी स्वीकृति दी जा रही है। साथ ही, अवकाश लेखा का संधारण भी ऑफलाईन माध्यम से किया जाना जारी है।

अतः अनुरोध है कि ऑनलाईन स्थापना आदेश तथा ऑनलाईन अवकाश प्रबंधन के शत–प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों / कर्मचारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : यथोक्त।

(के0के0 खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव।

जल संसाधन विभाग
(प्रधान सचिव / सचिव कोषांग)
संख्या 1540
दिनांक 03.06.19

0 3 JUN 2019

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–05/विविध–14–26/2017:– 2139 रॉची दिनांकः– 01/07/19

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, रॉची/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख–I एवं II/मुख्य अभियंता(मो॰)/सभी संयुक्त सचिव,/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/सभी कर्मचारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–05/विविध–14–26/2017:– 2139 रॉची दिनांकः– 01/07/19

प्रतिलिपिः–नोडल पदाधिकारी, HRMS/वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

स0स0–16 / PMU–10–02 / 2017 का0– 9407
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0के0 खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी, अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव /
विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्त / उपायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 27/11/18

विषय : दिनांक– 01 जनवरी, 2019 से राज्य सरकार के सभी विभाग / कार्यालय में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाश (उपार्जित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश) की स्वीकृति ऑनलाईन माध्यम से जारी करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि दिनाक– 01 जनवरी, 2019 से राज्य सरकार के सभी विभाग / कार्यालय में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मियों के सम्बन्ध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाश (उपार्जित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश) की स्वीकृति ऑनलाईन माध्यम से HRMS का उपयोग करते हुए ही जारी किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जिस स्थापना से ऑनलाईन आदेश के स्थान पर ऑफलाईन आदेश जारी किया गया पाया जायेगा, उस स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी का वेतन ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् ही विकलनीय होगा।

सभी अराजपत्रित कर्मियों / स्थापना पदाधिकारियों को यदि तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो तो हेल्पलाईन अथवा अपने पैतृक विभाग के नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। सहायता के लिए Help फाईल HRMS के वेबसाईट 'jharpis.gov.in' के 'FAQ and Help Videoes' लिंक में उपलब्ध है। इसके सहयोग से सभी ऑनलाईन कार्य निष्पादित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सहायता की आवश्यकता हो तो Toll Free No. 1800–345–6568 तथा झारनेट आई.पी. फोन नम्बर– 11476 पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई–मेल पता – hrms.dopar@gmail.com पर भी सहायता उपलब्ध है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ विभाग / कार्यालयों में अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाशों की स्वीकृति HRMS सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए ऑनलाईन जारी करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करते हुए उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(के0के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।